UPAN010004412023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय अम्बेडकरनगर।
स0प्र0 वाद सं0–12/2023
हमीदुलनिशा आदि–बनाम– फरीद अहमद आदि

03.07.2026

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आज वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र–10क1 व 12ग2 नियत है।

मजीदुलनिशां द्वारा प्रार्थनापत्र 10क1 अंतर्गत आदेश–22, नियम–3 सपठित आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में अपीलार्थिनी सं0 1 हमीदुलनिशां की मृत्यु दौरान मुकदमा दिनांक 08.05.2026 को हो गयी है। अपीलार्थिनी सं0–1 की पुत्री प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी सं0–2 मात्र एक विधिक जायज वारिस व कायमान है जो पहले से मुकदमें में पक्षकार है। अतः अपीलार्थिनी सं01 का कायम मुकामान उनकी पुत्री मजीदुलनिशां को बनाते हुए वाद उपरोक्त में संसोधन करने की याचना की गयी है।

अपीलार्थिनी द्वारा कायम मुकामी प्रार्थना पत्र 10क1 को प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 12ग2 अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 प्रस्तुत कर विलम्ब को माफ किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी की ओर से मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अपीलार्थिनी सं01 हमीदुलनिशां की मृत्यु हो चुकी है। मृतका की एक मात्र वारिसान उसकी पुत्री अपीलार्थिनी सं02 मजीदुलनिशां है, जो पहले से पक्षकार मुकदमा है। ऐसे में अपीलार्थिनी सं01 के नाम के सम्मुख मृतक दर्ज करने हेतु संशोधन करने की अनुमति चाही गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रस्तुत संशोधन से उपरोक्त प्रकरण के प्रभावी न्याय निर्णयन में सुगमता होगी। न्याय हित में विलम्ब माफी का प्रार्थना पत्र 12ग2 हर्जे पर स्वीकार करते हुए कायम मुकामी का प्रार्थना पत्र 10क1 स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

विलम्ब माफी प्रार्थना पत्र 12ग2 मु0–200/–रू0 हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र 10क1 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थिनी प्रार्थना पत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 03.08.2026 को पेश हो।

दिनांकः–03.07.2026

(चिन्ताराम)
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय
अम्बेडकरनगर

Digitally signed by CHINTA RAM
Date: 2026.07.03 16:34:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court